रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1973 (कार्तिक 26, 1895)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1973 (KARTIKA 26, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	987
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1897
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1285
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2167
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3763
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	355
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5885
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	599
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1923
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	199
पूरक संख्या 46—	
10 नवम्बर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1465
20 अक्टूबर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े	1479

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	987
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1897
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1285
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	2167
PART II.—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3763
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	355
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5885
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	599
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1923
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	199
SUPPLEMENT NO 44	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 10 November 1973	1465
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 20th October 1973	1479

भाग I खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर, 1973

सं० 69-प्रेज/73—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री तारा सिंह,
कांस्टेबल सं० 67411060,
41वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री परगत सिंह,
कांस्टेबल सं० 66411467,
41वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

14 दिसम्बर, 1971 को जम्मू और कश्मीर में बुगिना बुल्गे के रिंग कंटूर में स्थित शत्रु की एक चौकी पर छापा मारने के लिए सीमा सुरक्षा दल के एक दल को तैनात किया गया । छापा मार दल प्रातः 4 बजे अपनी चौकी से चला और 11.30 बजे रिंग कंटूर की सीमा में पहुंचा । दल ने तीन बंकरों के निकट खाई में खड़े शत्रु के एक संतरी को गोला बारी में उलझा लिया । शत्रु ने अपने स्वचालित हथियारों तथा 2 इंच मार्टार से प्रत्याक्रमण किया और छापा मार दल पर ग्रिनेड फेंके ।

श्री तारा सिंह ने जो शत्रु दल से 50 गज की दूरी पर थे, अपनी 7.62 एम०एम० सेल्फ लोडिंग रायफल से शत्रु की हल्की मशीन गन को उलझाये रखा । यह अनुभव करते हुये कि शत्रु की हल्की मशीन गन की गोलाबारी उनके हथियार की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभावी है, वे रेंगते हुये शत्रु की हल्की मशीन गन के बंकर की ओर गये और उन्होंने एक हथगोला फेंक कर शत्रु की हल्की मशीनगन को शान्त कर दिया । तत्पश्चात् श्री तारा सिंह दाईं ओर रेंगते हुये बढ़े, और देवदार के वृक्ष की आड़ में मोर्चा संभाला और इस प्रकार एक बार फिर शत्रु को उलझाया ताकि छापामार दल मिट्टी के एक टीले की आड़ ले सके ।

श्री परगत सिंह छापामार दल में हल्की मशीन गन चालक संख्या 1 के रूप में थे । जब छापामार दल ने शत्रु के बंकरों पर आक्रमण किया तो शत्रु की एक हल्की मशीन गन द्वारा एक लम्बाश (एनफीलेड) मोर्चे से छापामार दल पर गोलाबारी की जाने लगी तथा दल को आगे बढ़ने से रोक दिया गया । शत्रु की गोलाबारी की परवाह न करते हुये तथा अपने को भारी खतरे में डालकर श्री परगत सिंह लगभग दस गज तक रेंगते हुये आगे बढ़े और शत्रु की हल्की मशीन गन को उसके चालक सं० 1 को मारकर नष्ट कर दिया । इसके पश्चात् वे मोर्चे के दूसरे छोर की ओर बढ़े तथा शत्रु की मझौली मशीन गन का मुकाबला करने लगे । उन्होंने अपनी लगातार और सही गोलाबारी से शत्रु की मझौली मशीन गन को शान्त कर दिया । शत्रुओं को हताहत करने के पश्चात् छापामार दल वापिस लौटना चाहता था, किन्तु शत्रु की एक अन्य हल्की मशीन गन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया । तब श्री परगत सिंह ने शत्रु की हल्की मशीन गन को उलझाये रखा जिससे छापामार दल टीले की ओर सुरक्षित लौट सके ।

कांस्टेबल श्री तारा सिंह और श्री परगत सिंह दोनों ने उपर्युक्त कार्यवाही में शत्रु पर आक्रमण करके उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी साहसपूर्ण तथा दृढ़ कार्यवाही से शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 1971 से दिया जायगा ।

सं० 70-प्रेज/73—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र पाल सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 अप्रैल, 1972 को श्री राजेन्द्र पाल सिंह को सूचना मिली कि अपने आप को विरोधी नागा कप्तान कहने वाला चारंग और उसके साथी, जो बढ़िया हथियारों से लैस हैं, मणिपुर के सदर पहाड़ी क्षेत्रों में तफोऊ गांव में पड़ाव डाले हुये हैं । विरोधी नागा चारंग ने अतीत में अनेक हिंसक अपराध किये थे । गांव तफोऊ एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है जो तीन ओर से घने वनों से घिरा हुआ है । सावधानीपूर्वक टोह लेने के बाद श्री सिंह ने अत्यन्त कठिन भूभाग से अचानक आक्रमण करने का निश्चय किया । आक्रमण 22 अप्रैल 1972 की प्रातः को किया गया और जिस मकान में नागा ठहरे हुये

थे उसे घेर लिया गया। दरवाजा तोड़कर जब श्री सिंह ने झपटे में उस स्वयंभू कप्तान को दबोचा और उसकी रायफल छीन ली तो विरोधियों द्वारा जवाबी हमले में मौत का खतरा बिलकुल साकार था आरंग के दो साथियों को भी उसी मकान से, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के कर्मचारियों द्वारा जो श्री राजेन्द्र पाल सिंह के साथ थे, गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री राजेन्द्र पाल सिंह ने नागा विरोधियों का मुकाबला करने में उत्कृष्ट वीरता तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 अप्रैल, 1972 से दिया जाएगा।

अशोक मित्र, राष्ट्रपति के सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर 1973

विषय :—बम्बई अपतट क्षेत्र में 12,948 वर्ग किलोमीटर के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

आदेश

सं० आई० एस०-12012/4/73—लेबर एण्ड लेजिस पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959, के नियम 5 के उप-नियम (I) की धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (अत्पश्चात आयोग कहा गया है) को बम्बई अपतट क्षेत्र में 12,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसका विवरण एतद्द्वावद्ध अनुसूची 'क' में दिया गया है, में प्रधान कार्य शुरू किए जाने की तारीख से चार वर्षों के लिए पैट्रोलियम की खोज के लिए एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति देती है।

लाइसेंस की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों पर दी गई है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस केवल पैट्रोलियम के लिए होगा।

(ख) अन्वेषण कार्य करते समय यदि कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध हो जाए तो आयोग भारत सरकार को पूर्ण विवरण सहित उसकी सूचना देगा।

(ग) निम्नलिखित दरों के अनुसार रायल्टी ली जाएगी :—

(1) प्रतिटन 15/— रुपए अथवा ऐसी दर जो समय समय पर समस्त कच्चे तेल तथा केसिंग-हैड कान्डेन्सेट पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) प्राकृतिक गैस के लिए, ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

रायल्टी प्रति मास बम्बई खजाने में जमा कराई जाएगी तथा मूल-चालान फार्म केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(घ) आयोग प्रत्येक महीने के पहले तीस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को एक पूर्ण तथा सही विवरण भेजेगा जिसमें लाइसेंस के अनुसार पिछले महीने में प्राप्त तभी कच्चे तेल, केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा सकल मूल्य का उल्लेख होगा। विवरण एतद्द्वावद्ध अनुसूची "ख" में दिए गए फार्म में दिया जाएगा।

(ङ) आयोग पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम-II में निर्धारित जमानत के रूप में छः हजार रुपए जमा करेगा।

(च) आयोग प्रत्येक वर्ष लाइसेंस के लिए लाइसेंस में उल्लिखित प्रत्येक किलो मीटर अथवा इसके किसी अंश के लिए निम्नलिखित दरों पर परिकलित शुल्क देगा :—

(1) लाइसेंस के पहले वर्ष के लिए 4 रुपए;
(2) लाइसेंस के दूसरे वर्ष के लिए 20 रुपए;
(3) लाइसेंस के तीसरे वर्ष के लिए 100 रुपए;
(4) लाइसेंस के चौथे वर्ष के लिए 200 रुपए; और
(5) नवीकरण के पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए 300 रुपए।

(छ) आयोग अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने का निर्णय लेने में स्वतन्त्र होगा और ऐसा करने के लिए उसे केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से नोटिस देना होगा जो दो महीनों की अवधि से कम नहीं होगा। जैसा कि पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसनियम, 1959 के नियम II के उप-नियम (3) में अपेक्षित है।

(ज) मांग किए जाने पर आयोग केन्द्रीय सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के दौरान मिले सभी खनिजों के भूगर्भ विज्ञान संबंधी आंकड़ों की एक पूर्ण रिपोर्ट गोपनीय रूप से तुरन्त प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक छटे महीने समस्त परिचालन, बोरिंग तथा अन्वेषण कार्यों के परिणाम अवश्य प्रस्तुत करेगा।

(झ) आयोग समुद्र तल के नीचे या सतह पर आग के संकट का सामना करने के लिये अग्निशमक उपाय अपनायेगा और आग बुझाने के ऐसे उपकरण, सामग्री एवं साधन सदैव रखेगा और तीसरे पक्ष और अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना आग के कारण हुई क्षति के बारे में निर्धारित किया जाये।

(ञ) लाइसेंस, तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत होगा।

(ट) आयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अपतट क्षेत्रों में लागू होने वाले फार्म में पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा।

अनुसूची क

इस पैट्रोलियम अन्वेषण, लाइसेंस में उल्लिखित क्षेत्र बम्बई अपतट क्षेत्र में है और अक्षांश 18° 55' दक्षिण से 20° 15' उत्तर एवं रेखांश 70° 50' पश्चिम से 71° 55' पूर्व के बीच स्थित है तथा मानचित्र पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कोण बिन्दुओं तथा ए को मिलाती हुई रेखा द्वारा अंकित है और क्षेत्रफल में 12,948 वर्ग किलो मीटर है। अक्षांश एवं रेखांश जिन पर क्षेत्र बिन्दु स्थित है तथा उन के बीच की दूरी इस प्रकार है :—

विकोण						दूरी किलो मीटरों में	
	अक्षांश		रेखांश				
	डिग्री	मिन		डिग्री	मिन		
बिन्दु ए स्थित है	18	55	एवं	71	00		
बिन्दु बी स्थित है	19	45	एवं	71	00	ऐ से बी	94–25
बिन्दु सी स्थित है	19	45	एवं	70	50	बी से सी	17–50
बिन्दु डी स्थित है	20	15	एवं	70	50	सी से डी	56–75
बिन्दु ई स्थित है	20	15	एवं	71	55	डी से ई	114–50
बिन्दु एफ स्थित है	19	55	एवं	71	55	ई से एफ	37–75
बिन्दु जी स्थित है	19	55	एवं	71	35	एफ से जी	35–00
बिन्दु एच स्थित है	19	30	एवं	71	35	जी से एच	47–50
बिन्दु आई स्थित है	19	30	एवं	71	45	एच से आई	17–50
बिन्दु जे स्थित है	18	55	एवं	71	45	आई से जे	66–00
बिन्दु ए स्थित है	18	55	एवं	71	00	जे से ए	79–75

नोट :—मानचित्रण में कम से कम सूचना दी गई है।

पैट्रोलियम अन्वेषण के इस लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 12,948 वर्ग किलो मीटर है।

अनुसूची—'ख'

अशोधित तेल, केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा उत्पादित प्राकृतिक गैस और उनके मूल्य का मासिक विवरण।

बम्बई अपतट क्षेत्र के लिये पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस———————————

मास तथा वर्ष ———————————

क—अशोधित तेल

प्राप्त किलो लिटरों कुल संख्या	अनिवार्य रूप से हानि ग्रस्त अथवा प्राकृतिक कुंड को लौटाए गए किलो लिटरों की संख्या	पैट्रोलियम के खोज कार्य के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 तथा 3 में दी गई संख्या को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	विशेष
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किलो लिटरों की कुल संख्या	अनिवार्य रूप से हानि ग्रस्त अथवा प्राकृतिक कुंड को लौटाये गये किलो लिटरों की संख्या	पैट्रोलियम के खोज कार्य के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किलो लिटरों की संख्या	कालम 2 तथा 3 में दी गई संख्या को घटाकर प्राप्त लिटरों की संख्या	विशेष
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक

प्राप्त कुल घन मीटरों की संख्या	अनिवार्य रूप से हानि ग्रस्त अथवा प्राकृतिक कुंड को लौटाए गये घन मीटरों की संख्या	पट्रोलियम की खोज के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत घन मीटरों की संख्या	कालम 2 तथा 3 में दी गई संख्या को घटाकर प्राप्त घन संख्या	विशेष
1	2	3	4	5

मैं,———————————एतद्द्वारा दृढ़तापूर्वक तथा सद्भावना के साथ यह घोषणा करता हूं कि इस विवरण में दी गई प्रत्येक सूचना सत्य एवं सही है तथा कर्तव्यनिष्ठा से इसकी सत्यता में विश्वास करते हुये दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के नाम से तथा उनके आदेश द्वारा।

हस्ताक्षर

बी० आर० भल्ला, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 1973

संख्या 34-1/73-सी०ए०-II—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या 5-22/67-सी०सी०-II दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के अनुसार स्थापित की हुई भारतीय पटसन विकास परिषद को तत्काल पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. **अध्यक्ष** : भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक गैर सरकारी व्यक्ति ।

2. **उपाध्यक्ष** : भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) का अपर सचिव ।

3. **सदस्य** : (1) निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग। का एक-एक प्रतिनिधि सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाना है :—

(क) केन्द्रीय तथा
राज्य सरकारों के
प्रतिनिधि

(i) पश्चिम बंगाल
(ii) बिहार
(iii) असम
(iv) उड़ीसा
(v) उत्तर प्रदेश
(vi) आंध्र प्रदेश
(vii) त्रिपुरा ।

(2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
(3) भारत सरकार के कृषि आयुक्त
(4) पटसन, आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय
(5) परियोजना समन्वयक, पटसन औद्योगिकी प्रयोगशाला, टी-12 रीजेन्ट पार्क, कलकत्ता ।
(6) निदेशक, पटसन औद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, टी-12, रीजेन्ट पार्क, कलकत्ता ।
(7) संयुक्त आयुक्त (विस्तार प्रशिक्षण) अथवा विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में फार्म सूचना एकक के निदेशक ।

(ख) उत्पादकों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित प्रमुख पटसन उत्पादन राज्यों में से सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि—

(i) पश्चिम बंगाल
(ii) बिहार
(iii) असम
(iv) उड़ीसा
(v) उत्तर प्रदेश
(vi) आंध्र प्रदेश

(2) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाना है ।

(ग) उद्योगों के प्रतिनिधि

(1) भारतीय पटसन मिल संघ के दो प्रतिनिधि ।
(2) इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के दो प्रतिनिधि ।
(3) बंगाल नैशनल चैम्बर आफ कामर्स का एक प्रतिनिधि ।

(घ) व्यापारियों के प्रतिनिधि

जूट वेलर्स एसोसिएशन कलकत्ता का एक प्रतिनिधि

(ङ) संसद् सदस्य : तीन संसद् सदस्य

(च) परिषद में जिन व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त व्यक्तियों को नामजद किया जाना है ।

(iv) सदस्य सचिव

निदेशक,
पटसन विकास निदेशालय,
कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

प्रेक्षक जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, किन्तु उन्हें परिषद् के विचार विमर्श में उसकी सहायता के लिए समय-समय पर आमंत्रित किया जाएगा ।

(i) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम
(ii) कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध संयुक्त सचिव (वित्त)
(iii) अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
(iv) कृषि विपणन सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)
(v) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का एक प्रतिनिधि
(vi) निदेशक, पटसन कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर
(vii) संयुक्त आयुक्त (निर्यात वृद्धि) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
(viii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम
(ix) वनस्पति, सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)
(x) अध्यक्ष, भारतीय पटसन निगम
(xi) संयुक्त आयुक्त (सी सी) कृषि विभाग
(xii) उप सचिव (फसल) कृषि विभाग

(2) परिषद् सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी और उसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय समय पर उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना और प्रगति को तीव्र करने के लिए सुझाना ।

2. जिसों के विपणन, परिसंस्करण भण्डार तथा उनके परिवहन और उनके व्यापार और मूल्य निर्धारण के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करने और सरकार को उनके संबंध में महत्वपूर्ण सलाह देना ।

3. कार्यक्रम बनाकर अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम में और जिस सम्बन्धी बाजार की जरूरतों के बारे में अनुसंधान एजेंसियों को सलाह देने के विषय में उपयुक्त समन्वय करना ।

4. निर्यात बाजार की जरूरतों पर विचार करना और उपयुक्त सिद्ध होने वाले विकास कार्यक्रमों का समायोजन करना ।

5. अन्य ऐसे कार्य भी संभालना जो जिस के विकास में सहायता देने के लिए समय-समय पर सौंपे जाएं ।

3. भारतीय पटसन विकास परिषद् को अधिकार होगा कि वह विशेष महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने और कृषि विश्व-विद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को विनियुक्त करने के विषय में आवश्यक स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है ।

4. पटसन उत्पादक क्षेत्रों व व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर परिषद् की बैठकें हुआ करेंगी और परिषद् भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् का कार्यकाल 31-12-76 तक होगा । संसद सदस्य संसद की सदस्यता से पहले ही परिषद् के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे । आवश्यकतानुसार भारत सरकार परिषद् के कार्यकाल को बढ़ा या घटा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० सी० कपूर, अवर सचिव

सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर, 1973

सं० 3-3/68-एम० डब्ल्यू०एस०—भारत सरकार ने अगले तीन वर्षों की अवधि के लिये राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित बोर्ड की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. **अध्यक्ष**

सहकारिता के प्रभारी केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ।

सदस्य

2. सहकारिता मंत्री, असम सरकार ।
3. सहकारित मंत्री, बिहार सरकार ।
4. सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ।
5. सहकारिता मंत्री, तमिल नाडु सरकार ।
6. श्री वी० एचारन, हरिजन कल्याण तथा सामुदायिक विकास मंत्री, केरल सरकार ।
7. श्री नाथूराम अहिरवार, सदस्य, लोक सभा ।
8. श्री एन० आर० चौधरी, सदस्य, राज्य सभा ।
9. श्री राधाकृष्ण, सेक्रेटरी, सोसायटी फार डवैलपिंग, ग्रामदान्स, 223, राउज ऐवेन्यू, नई दिल्ली ।
10. मेजर दलीप सिंह, संयुक्त सहकारी खेती सोसायटी लि०, धोराहरा बुजुर्ग, डाकखाना अलीगंज, जिला लखीम पुरखेड़ी, उत्तर प्रदेश ।
11. श्री बी० एन० पाटिल, अध्यक्ष, नवारी संयुक्त खेती सोसायटी, नवलनगर, पोस्ट नवारी, धुलिया, महाराष्ट्र ।
12. प्रो० पी० आर० चक्रवर्ती, भूतपूर्व संसद सदस्य, 13/23, वैस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली-5 ।
13. श्री बी० जी० अंगदी, प्रबंध निदेशक, मैसूर राज्य सहकारी खेती सोसायटी परिसंघ लि०, नं० 1 अली अस्कर रोड, बंगलौर ।
14. श्री आनंद मणी बोदरा, सचिव, संयुक्त खेती सहकारी सोसायटी लि०, पलोर (मुरहु), रांची ।
15. श्री बनारसी दास धनजय, अध्यक्ष, संयुक्त सहकारी खेती सोसायटी, गांव तथा डाकखाना डाक्ला, जिला पटियाला ।
16. सरदार सुरजीत सिंह अतवाल एच-35, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-16 ।
17. श्री राम शंकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, 14, विधा सभा मार्ग, लखनऊ ।
18. प्रो० वी० एस० व्यास, सदस्य, कृषि मूल्य आयोग, कृषि विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
19. श्री एस० एस० पुरी, संयुक्त सचिव, (कृषि तथा ग्राम विकास), योजना आयोग ।
20. संयुक्त सचिव, भूमि सुधार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

21. संयुक्त सचिव, (सी० एण्ड एम०), सहकारिता विभाग ।

2. बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :—

(1) सहकारी खेती कार्यक्रम की स्वैच्छिक आधार पर आयोजना करना तथा उसे बढ़ावा देना;

(2) कार्यक्रम में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करना तथा जब कभी आवश्यकता हो, उसमें संशोधन के सुझाव देना;

(3) कार्यक्रम में लोगों का सहयोग प्राप्त करने और उनकी पहल शक्ति तथा नेतृत्व को प्रोत्साहन देने के लिये उपायों का सुझाव देना;

(4) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित कार्मिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सुझाव देना;

(5) सहकारी खेती के सम्बन्ध में अध्ययनों के आयोजन तथा अनुसंधान योजनाओं का सुझाव देना;

(6) कार्यक्रम की आवश्यकताओं का आंकन करना और उसके लिये वित्तीय सहायता के प्रतिमान की सिफारिश करना ।

(7) कार्यक्रम के तकनीकी पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के प्रश्न का अध्ययन करना और उसके लिये उपयुक्त प्रबन्धों का सुझाव देना ।

(8) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अंतर-राज्यीय सुधारों तथा अनुभव का समन्वय करना;

(9) राज्य सरकारों और राज्य बोर्डों, यदि आवश्यक हो, को उनकी योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने में सहायता देना;

(10) ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देना जो बोर्ड के विचारार्थ विषयों के निष्पादन से सम्बन्ध रखते हों ।

3. वह व्यक्ति, जो अपनी पदेन हैसियत अथवा पद विशेष पर होने के कारण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया हो, यदि उस पद अथवा नियुक्ति जैसी भी स्थिति हो, पर नहीं रहता है तो वह स्वत: ही बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा । सभी आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी अथवा निकाय के परामर्श से भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य, जिसकी जगह खाली हुई है, को नामित किया था ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

के० एन० खन्ना, अतिरिक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर 1973

शिक्षा

पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1890 के विषय में, और लोरेन्स स्मारक स्कूल (लोवडेल) निधि के विषय में

संख्या एफ० 5-1/73-यू०टी०-2—लारेन्स स्मारक स्कूल (लोवडेल) निधि की स्थापना और अनुरक्षण के लिए पूर्त न्यास के प्रशासन के लिए कार्य कर रहे प्रशासन मंडल के आवेदन पर और उसकी सहमति से, केन्द्रीय सरकार पूर्त धर्मस्व अधिनियम 1890 (1890 का VI) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 19-84/52-जी-आई०, दिनांक 14-8-1952 द्वारा यथासंशोधित, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 778-ए, दिनांक 19-5-1949 से संबद्ध अनुसूची में निर्धारित योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची-II

खंड 6(1)	(घ) के बाद (छ) एक माता-पिता (च) एक पुराना लारेंसियन बोर्ड जोड़ें
खंड 6(3)	"सचिव किन्तु सदस्य नहीं" हटा दीजिए और "सदस्य-सचिव" जोड़ें ।

एस० एम० एस० चारी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

मध्य रेल

महाप्रबंधक कार्यालय बी० टी० बम्बई

बम्बई दिनांक 1 अक्तूबर 1973

सं० एच० पी० बी०/220/जी/III/डब्ल्यू०—सिविल इंजीनियरी विभाग के श्री एच० डब्ल्यू डिसोजा, स्थानापन्न सहायक इंजीनियर (श्रेणी II) को सहायक इंजीनियर के पद पर उसी विभाग में 9 अगस्त, 1972 से स्थायी किया गया है ।

जी० पी० वारियर, महाप्रबंधक

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 1973

संकल्प

सं० बाढ नियंत्रण 26(1)/73—इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि०का० पांच 516(4)/64 दिनांक 27-7-1965 में जिसके द्वारा रेलवे पुलों के नीचे बढ़ते हुए जल मार्गों की व्यवस्था की लागत के मामले पर राज्य सरकारों तथा रेल मंत्रालय के बीच विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था, वर्तमान पैरा 4 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाए :—

"4. जब भी राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो संबंधित मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय रेलवे या राज्य का मुख्य अभियंता रेलवे अथवा राज्य के विचारों को अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति संबंधित रेलवे अथवा राज्य के प्राधिकारी को भेजी जाएगी । तब मामले पर विचार करने के लिए एक बैठक करेंगे । समिति का निर्णय अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग, मुख्य अभियंता, रेलवे तथा संबंधित राज्य के विचारों के आधार पर लिया जाएगा । यदि कोई बहुमत-निर्णय संभव नहीं होता तो अध्यक्ष के निर्णय को समिति का निर्णय समझा जाएगा । इस प्रकार लिये गये निर्णय को मानने के लिए रेलवे तथा राज्य सरकार बाध्य होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सेना सचिव, संसद् कार्य विभाग, राज्य सभा-लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापाल को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत राजपत्रों में प्रकाशित कर दिया जाए तथा राज्य सरकारों से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया जाए।

बी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर, 1973

संकल्प

सं० 11015(46)/72-ई०डब्ल्यू० 4—**विषय**:- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्टाफ का कुशलता के अनुसार वर्गीकरण 1973।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्टाफ का कुशलता के अनुसार वर्गीकरण 1973 करने हेतु समिति का गठन करने हेतु इस मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 1973 के संकल्प सं० 11015(46)72-ई० डब्ल्यू०-4 के पैरा 3 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ें :—

"(III) पुर्नवर्गीकरण करने की प्रक्रिया में मानकों की एकरूपता के उचित उपाय सुनिश्चित करने हेतु बढ़ई, बिजली मिस्त्री, वैल्डर, वायरमैन बिजली के खलासी तथा लोहारों जैसे भारत सरकार मुद्रणालय के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों की एक जैसी श्रेणियों का वर्गीकरण का पुनरीक्षण करना"।

(1) आदेश दिया गया कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

(2) यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

ए० एन. किदवई, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th November 1973

No. 69-Pres./73.—The President is pleased to award the police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and ranks of the officers

Shri Tara Singh,
Constable No. 67411060.
41st Battalion,
Border Security Force.
Shri Pargat Singh,
Constable No. 66411467,
41st Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 14th December, 1971, a party of the Border Security Force was deputed to raid a post held by the enemy at Ring Contour in Bugina Bulge in Jammu and Kashmir. The raid party left its base at 0400 hrs. and reached the vicinity of Ring contour by 11.30 hrs. The party engaged one enemy sentry standing in a trench and three nearby bunkers. The enemy retaliated with their automatic weapons and 2 inch mortar and hurled grenades on the raiding party.

Shri Tara Singh who was 50 yards from the enemy picket engaged the L.M.G. of the enemy with his 7.62 MM self-loading rifle. On realising that the fire of the LMG of the enemy was too heavy for his weapon, he crawled towards the enemy's LMG Bunker and threw a hand grenade and silenced the enemy LMG. Shri Tara Singh then crawled to the right side took up position behind a pine tree and engaged the enemy once again in order to enable the raiding party to withdraw to a small mound in the rear.

Shri Pargat Singh accompanied the raiding party as LMG No. 1. When the raiding party attacked the enemy Bunkers, one of the LMG of the enemy fired on the raiding party from an enfilade position and did not allow the party to advance further. Shri Pargat Singh in utter disregard of the enemy fire and at a great personal risk crawled about ten yards and destroyed the enemy LMG by killing its No.1. He then rushed to the other end of the position and engaged the MMG of the enemy. He silenced the MMG of the enemy with his sustained and accurate fire. After inflicting casualties on the enemy, the raiding party wanted to withdraw but another LMG of the enemy would not allow them to do so. Shri pargat Singh then engaged the LMG of the enemy to enable the raiding party to withdraw safely to a mound.

In the above action both Shri Tara Singh and Shri Pargat Singh Constables, exhibited conspicuous gallantry in an attack on the enemy and inflicted casualties on them by their bold and determined action.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the awards of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th December, 1971.

No. 70-Pres./73.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Rajendra Pal Singh,
Depuay Superintendent of Police,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 21st April, 1972 Shri Rajendra Pal Singh, received information that self styled Naga hostile Captain Charang and his associates armed with sophisti-

cated fire-arms were camping at village Taphou in the Sadar Hills area of Manipur. Hostile Naga Charang had committed several violent crimes in the past. Village Taphou is located in a hillock which is surrounded by thick forest on three sides. After careful reconnaissance, Shri Singh decided to launch the attack from the most difficult terrain in order to effect surprise. The assault was made in the early hours on the 22nd April, 1972 and the house where Naga hostiles were staying was surrounded. The danger of instant death from the counter attack by the hostiles became real when on breaking open the house, Shri Singh had to overpower in swift combat the self styled Captain and force him to hand over his loaded rifle. Two associates of charang were also arrested from the same house by the Central Reserve Police Force personnel accompaning Shri Rajendra Pal Singh.

Shri Rajendra Pal Singh showed conspicuous gallantry and high devotion to duty in facing the Naga hostiles.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd April, 1972.

A. MITRA,
Secretary to the President.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi the 30th October 1973

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for Bombay Offshore area measuring 12,948 sq. kms.

No.IS-12012/4/73-Lab. & Legis. In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as the Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years with effect from the date of commencement of drilling, in the Bombay offshore area measuring 12,948 Square kilometres, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of the licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The exploration licence should be in respect of petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged,-

(i) Rs. 15/-per metric tonne or such rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate ;

(ii) in case of natural gas, at such rate as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid at the Bombay Treasury every month and the original chalan forwarded to the Central Government.

(d) The Commission shall, within the first thirty days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule "B" annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of six thousand rupees as security as required by rule 11 of the petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—

(i) Rs. 4 for the first year of the licence ;

(ii) Rs. 20 for the second year of the licence ;

(iii) Rs. 100 for the third year of the licence ;

(iv) Rs. 200 for the fourth year of the licence ; and

(v) Rs. 300 for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rules (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(*i*) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of damage to the fire.

(*j*) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(**k**) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

Schedule A

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Bombay offshore area and lies between latitudes 18°55' South to 20 15' North and longitudes 70 50' West to 71°55' East and is delineated on the map by the line joining the corner points A B C D E F G H I J and A and measures 12,948 sq. kms. in area The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distances in between them are as follows :—

	Bearing				Distance in Kms.
	Lati.		Long		
	Deg.	Min	Deg.	Min.	
Point A is at	18	55 & 71	00		94.25
Point B is at	19	45 & 71	00	A to B	
Point C is at	19	45 & 70	50	B to C	17·50

Point D is at	20	15 & 70	50	C to D	56·7
Point E is at	20	15 & 71	55	D to E	114·5
Point F is at	19	55 & 71	55	E to F	37·75
Point G is at	19	55 & 71	35	F to G	35·00
Point H is at	19	30 & 71	35	G to H	47·50
Point I is at	19	30 & 71	45	H to I	17·50
Point J is at	18	55 & 71	45	I to J	66·00
Point A is at	18	55 & 71	00	J to A	79·75

Note: Only bare minimum information has been provided in the map.

The total area covered by this Petroleum Exploration Licence is 12,948 Sq. Kms.

Schedule 'B'

Monthly return of crude oil, Casting head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for the Bombay Offshore Area Month and Year.....

A.—*Crude Oil*

Total No. of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—*Casing-head condensate*

Total number of kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of kilolitres used for purpose of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—*Natural Gas*

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservior	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to the true.

.....
(Signature)

By order and in the name of the President of India

B. R. BHALLA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 3rd October 1973

RESOLUTION

No. 34-1/73-CAII.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the India Jute Development Council which was last reconstituted vide Resolution No. 5-22/67-CC.II, dated 30th December, 67. The reconstituted Council will be composed as follows :—

1. *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Govt. of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

The Additional Secretary to the Govt. of India, Ministry of, Agriculture (Department of Agriculture).

III. *MEMBERS*

(a) *Representatives of the States and Central Govts.*

(1) One representative from each of the following State Govts. in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Govts.

(i) West Bengal
(ii) Bihar
(iii) Assam
(iv) Orissa
(v) Uttar Pradesh
(vi) Andhra Pradesh
(vii) Tripura

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) Agricultural Commissioner with the Govt. of India.

(4) Jute Commissioner, Ministry of Commerce.

(5) Project Coordinator, Jute Technological Research Laboratory, T-12 Regent Park, Calcutta

(6) Director, Jute Technological Research Laboratory, T-12, Regent Park, Calcutta.

(7) Joint Commissioner (Extension Training) or altematively Director, Farm Information Unit as representative of Directorate of Extension.

(8) A representative of the Agricultural Prices Commission.

(b) *Growers' representative*

(1) One representative of the growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following major Jute growing States :—

(i) West Bengal
(ii) Bihar

(iii) Assam

(iv) Orissa

(v) Uttar Pradesh

(vi) Andhra Pradesh

(2) One representative of growers to be nominated by the Government of India.

(c) *Representative of Industry.*

(1) Two representatives of the Indian Jute Mills Association.

(2) Two representatives of the Indian Chamber of Commerce and Industry.

(3) One representative of Bengal National Chamber of Commerce.

(d) *Representative of Trade*

One representative of the Jute Balers Association, Calcutta.

(e) *Member of Parliament.*

Three members of Parliament.

(f) *Such additional persons as may, from time to time be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.*

IV. *Member Secretary*

The Director, Directorate of Jute Development, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture).

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberation).

(i) Chairman, State Trading Corporation.

(ii) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture.

(iii) Economics & Statistical Adviser Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(iv) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(v) A representative of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation.

(vi) Director, Jute Agricultural Research Institute, Barrackpore.

(vii) Joint Commissioner (Export Promotion) Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture).

(viii) Chairman, National Seeds Corporation.

(ix) The Plant Protection Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

(x) Chairman Jute Corporation of India.

(xi) Joint Commissioner (CC) Department of Agriculture.

(xii) Dy. Secretary (Crops) Department of Agriculture.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider the development programme formulated by the Central and State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress.

(ii) to play a dynamic role in examining the problems of marketing, processing, storage and transport of the commodities and in their trade and pricing and advising the Government thereon;

(iii) to bring suitable coordination between research and development programmes by formulation of the programmes and in advising the research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

(iv) to consider the needs of the export market and adjust the programmes of development suitably tdereto; and

(v) to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time.

3. The Indian Jute Development Council will have powers to set up as necessary, Standing Committee, Technical Committee, and *ad-hoc* Committee to look into special issues and to coopt members, where necessary(such as representatives of Agricultural Universities and other special interests).

4. The Council will meet periodically at important Centres of trade and Industry, in areas in which Jute is grown and will make recommendations to the Govt. of India.

5. The term of the reconstituted Council will be up to 31-12-76. It may, however, be extended or curtailed by the Govt. of India, if considered necessary. The members of Parliamnet will cease to be members of the Council as seen as they cease to be members of the Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

DEPARTMENT OF COOPERATION

New Delhi, the 4th October 1973

RESOLUTION

No. 3-3/68-MWS.—The Government of India have decided to reconstitute the National Advisory Board on Cooperative Farming for a further period of three years. The composition of the reconstituted Board will be as follows :

CHAIRMAN

Union Minister of State for Agriculture, incharge of Cooperation.

MEMBERS

1. Union Minister of State for Agriculture, incharge of Cooperation.
2. Minister for Cooperation, Government of Assam.
3. Minister for Cooperation, Government of Bihar.

4. Minister for Cooperation, Government of Madhya Pradesh.

5. Minister for Cooperation, Government of Tamil Nadu.

6. Shri V. Eacharan, Minister for Harijan Welfare & Community Development, Government of Kerala.

7. Shri Nathu Ram Ahirwar, Member, Lok Sabha.

8. Shri N. R. Choudhary, Member, Rajya Sabha.

9. Shri Radha Krishna, Secretary, Society for Developing Gramdans, 223, Rouse Avenue, New Delhi-1.

10. Major Dalip Singh, Joint Cooperative Farming Society Ltd., Dhaurahra Buzurg, Post Office Aliganj, District Lakhimpur Kheri, U. P.

11. Shri V. N. Patil, Chairman, Navari Joint Farming Society, Navalnagar, Post: Navari, Dhulia, Maharashtra.

12. Prof. P. R. Chakravarti, Ex-M.P., 13/23, Western Extension Area, New Delhi-5.

13. Shri V. G. Angdi, Managing Director, Mysore State Cooperative Farming Societies Federation Ltd., No. 1 Ali Askar Road, Bangalore.

14. Shri Anand Mashi Bodra, Secretary, Joint Farming Cooperative Society Ltd., Palaul (Murhu), Ranchi.

15. Shri Banarsi Dass, Dhanajai, President, Joint Cooperative Farming Society, Village & Post Office Dakala, District Patiala.

16. Sardar Surjit Singh Atwal, H-35 Green Park Extension, New Delhi-16.

17. Shri Ram Shankar Tripathi, Vice President, U. P. Copperativve Union, 14 Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

18. Prof. V. S. Vyas, Member, Agril. Prices Commission, Department of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.

19. Shri S. S. Puri, Joint Secretary (Agriculture & Rural Development), Planning Commission.

20. Joint Secretary, Land Reforms, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.

MEMBER-SECRETARY

21. Joint Secretary (C&M), Department of Cooperration.

2. The terms of reference of the Board shall be as follows :

(i) To plan and promote the programme of cooperative farming on a voluntary basis ;

(ii) To review the progress and suggest modifications in the programme, as and when necessary;

(iii) To suggest measures for enlisting people's participation in the programme and fostering their initiative and leadership;

(iv) To suggest arrangements for education and training of the personnel required for implementing the programme;

(v) To suggest organisation of studies and schemes of research relating to cooperative farming;

(vi) To assess the requirements and to recommend the pattern of financial assisstance for the programme;

(vii) To study the question of technical supervision and guidance of the programme and to suggest suitable arrangements;

(viii) To coordinate inter-State developments and experience about the implementation of the programme;

(ix) To help State Governments and State Boards in formulating their schemes and programmes, if necessary;

(x) To advise on such other cognate matters as are relevant to the pursuance of the terms of reference of the Board.

A person who is appointed as a member of the Board in his ex-officio capacity or as the holder of a paticular office shall automatically cease to be a member of the Board if he ceases to be ex-officio holder of the office or appointement, as the case may be. All casual vacancies shall be filled in consultation with the authority or body which nominated the member whose place falls vacant.

ORDER

Ordered that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. CHANNA, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 3rd October 1973

EDUCATION

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890 and

In the matter of the Lawrence Memorial School (Lovedale) Fund

No. F. 5-1/73-UT2.—On the application and with the concurrence of the Board of Administration acting in the administration of the Charitable Trust for the establishment and maintenance of what is known as The Lawrence Memorial School (Lovedale) Fund, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (VI of 1890), hereby makes the following modifications in the scheme set forth in the Schedule annexed to the Government of India in the Ministry of Defence notification No. 778-A, dated the 19th May, 1949 and as amended in the Ministry of Education notification No.F. 19-84/52-G1 dated the 14th August, 1952 namely :—

SHEDULE II

Clause 6(1) after, (d) add, (e) A Parent., (f) An Old Lawrencian., Clause 6(3) Delete "Secretary but not a member" and Add "Member-Secretary"

S. M. S. CHARI, Jt. Educational Adviser.

New Delhi, the 3rd November 1973

CORRIGENDUM

No.F. 15-25/72-L.I.— The Resolution No.F. 15-25/72-L.I. dated 5th May, 1972 of the Department of Culture, amended vide Department of Culture Corrigendum

of even number dated 21st February, 1973, 6th July, 1973 and 26th September, 1973 is further amended as under :—

Para 3 (i) *Serial No.* 15

For

Shri Kanti Chaudhuri, Joint Secretary (Languages) Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture.

Member Secretary

Read

Shri Shahid Ali Khan, Joint Secretary (Languages), Ministry of Education & Social Welfare and Department of Culture.

Member Secretary

(ii) *Add the folowing after Serial No.* 16

Shri Kanti Chaudhuri,
99, Lodhi Estate,
New Delhi.

ORDER

Ordered that Copies of the Corrigendum to the Resolution be communicated to all members of the Committee, Chairman, University grants Commission, All Vice-Chancellors, Director, Central Hindi Directorate, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, and all State Governments, Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Corrigendum to the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHATURVEDI, Dy. Secy.

CENTRAL RAILWAY

Bombay the 1st October 1973

No. HPB/220/G/II/W.— Shri H. W. D.'Souza, officiating Assistant Engineer (Class II) of the Civil Engineering Department is confirmed in Class II service as Assistant Engineer in that Department from 9th August, 1972.

G. P. WARRIER,
General Manager.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 27th October 1973

RESOLUTION

No.F.C.26(1)/73 :—In this Ministry's Resolution No.DW.V.516 (4)/64 dated 27-7-1965 constituting a Standing Committee for settling disputes between State Governments and Railways over the incidence of cost of provision of increased waterways under the Railway Bridges, the following may be substituted for the existing para 4 :—

"4. Whenever a different of view arises between the State Government and the Railway, the Chief Engineer, Zonal Railway or the State Chief Engineer concerned will submit a memorandum on the Railway's or State's case to the Chairman, Central Water and Power Commission with a copy to the State or the Railway authorities concerned. The Chairman, Central Water and Power Commission would then fix up a meeting to consider the matter. The decision of the Committee would be arrived at on the basis of the views of the Chiarman of Central Water and Power Commission and the Chief Engineer of Railways and States Concerned. Whenever a majority decision is not possible, the decision of the Chairman would be considered as the decision of the Committee. The decision thus arrived at will be binding on the Railways as well as the State Governments".

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all State Governments, all the Ministeries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, Department of Parliamentary Affairs, the Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

WORKS DIVISION

New Delhi, the 23rd October, 1973

RESOULTION

Subject :—Classification of the workcharged staff of the C. P. W. D. according to skills, 1973.

No. 11015 (46)/72-EW4.—The following may be added at the end of para 3 of this Ministry's Resolution No.11015 (46)/72-EW4, dated the 18th May, 1973 constituting the Committee for Categorisation of the Workcharged staff of the C. P. W. D. according to skills, 1973 :—

"(iii) To review the classification of identical categories of industrial workers under Government of India Presses such as Carpenters, Electricians, Welders, Wiremen, Electrical Khallasi, and Black-smith for ensuring a reasonable measure of uniformity of standards in the process of re-categorisation".

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India

A. N. KIDWAI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973